

[2022] 3 एस. सी. आर 284

बिहार राज्य और अन्य

बनाम्

राजमती देवी और एक अन्य

(2022 की सिविल अपील संख्या 3900-3901)

20 मई, 2022

[एम. आर. शाह और बी. वी. नागरत्ना, न्यायाधीशगण]

पेंशन-पारिवारिक पेंशन हकदार प्रत्यर्थी सं.1 का मृतक पति चाहे 2005 की नए अंशदायी पेंशन योजना या 1950 के पुराने पेंशन नियम अवधारित: जब प्रत्यर्थी संख्या-1 सरकारी सेवा में समंजित हो गया, पुराने पेंशन नियमों को पहले ही समाप्त कर दिया गया था, और नई पेंशन योजना अस्तित्व में थी-इसलिए, वह नई पेंशन योजना द्वारा शासित था जिसमें पारिवारिक पेंशन के लिए प्रदान नहीं की गई थी। तदनुसार प्रत्यर्थी संख्या-1 पारिवारिक पेंशन का हकदार नहीं-बिहार पेंशन नियम, 1950-बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना, 2005।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अवधारित किया:

प्रत्यर्थी नंबर 1 का पति वर्ष 2014 में 02.03.2009 के प्रभाव से सरकारी सेवा में समंजित हो गया। 02.03.2009 तक, वे बिहार रिसर्च सोसाइटी के कर्मचारी बने रहे, जिसमें वे एक कर्मचारी थे और काम करते रहें हैं। पुराने पेंशन नियम, 1950 को समाप्त कर दिया गया और नई अंशदायी पेंशन योजना 01.09.2005 के प्रभाव से शुरू की गई। नई अंशदायी पेंशन योजना के तहत पेंशन/पारिवारिक पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। योजना के अनुसार, 31.08.2005 के बाद नियुक्त होने वाले सभी लोग नई अंशदायी पेंशन योजना द्वारा शासित होंगे। इसलिए, जिस समय प्रत्यर्थी संख्या 1 के पति, जिनकी वर्ष 2013 में मृत्यु हो गई थी, को शामिल किया गया था, उस समय पुराने पेंशन नियमों को समाप्त कर

दिया गया था और नई अंशदायी पेंशन योजना अस्तित्व में थी। नियुक्ति आदेश में जारी शुद्धिपत्र के अनुसार और खंड 6 के अनुसार, संबंधित कर्मचारी द्वारा उसके समंजन से पहले दी गई पूर्व सेवा को सरकारी सेवा के रूप में नहीं माना जाएगा। इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 1 के पति को सरकारी कर्मचारी और सरकारी सेवा में 02.03.2009 के प्रभाव से ही कहा जा सकता है। इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 1 के पति ने नई अंशदायी पेंशन योजना द्वारा शासित थी जिसके तहत पेंशन/पारिवारिक पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को पुराने पेंशन नियमों के तहत प्रतिवादी संख्या 1 को पारिवारिक पेंशन का भुगतान करने का निर्देश देने में एक गंभीर त्रुटियां की है, जो 31.08.2005 से पहले लागू थे। उपरोक्त पहलू पर उच्च न्यायालय द्वारा बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है और एकल न्यायाधीश ने केवल यह माना है कि प्रतिवादी संख्या 1 के पति की मृत्यु पर, जिसकी सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई थी, प्रतिवादी संख्या 1 पारिवारिक पेंशन योजना के तहत पारिवारिक पेंशन का हकदार है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस बात पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है कि नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होने पर कोई भी सरकारी कर्मचारी जो 31.08.2005 के बाद नियुक्त हुआ हो वह नई अंशदायी पेंशन योजना के अलावा किसी भी अन्य लाभ का हकदार नहीं होगा। मामले के उस दृष्टिकोण में, प्रत्यर्थी संख्या 1 पुराने पेंशन नियमों के तहत पारिवारिक पेंशन का हकदार नहीं होगा, जो उस समय लागू नहीं थे जब प्रत्यर्थी संख्या 1 का पति डब्ल्यू. ई. एफ. 02.03.2009 के प्रभाव से सरकारी सेवा में समंजित हो गया था। [पैरा 6] [288-डी-एच; 289-ए-सी]

2. तदनुसार, एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित निर्णयों और आदेशों को रद्द कर दिया जाता है, जिसमें कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 पुराने पेंशन नियमों के तहत पारिवारिक पेंशन का हकदार होगा। यह अवलोकित एवं अवधारित किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के पति को केवल 02.03.2009 के प्रभाव से सरकारी सेवा में शामिल किया गया था, वह नई पेंशन योजना यानी बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना, 2005 [पैरा 7] [289-सी-डी] द्वारा शासित होगा।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं.3900-3901/2022

2016 के एल. पी. ए. सं.1099 में पटना में उच्च न्यायालय के दिनांक 11.04.2017 के निर्णय और आदेश और सिविल रिव्यू सं. 334/2017 में दिनांक 04.09.2017 से

शिवम सिंह, अभिनव सिंह, मनीष कुमार, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी की ओर से।

जयंत के. सूद, ए. एस. जी., सुश्री रचिता राय, सुश्री अलका अग्रवाल, सुश्री विमला सिन्हा, टी. एस. सबरिश, सुश्री गार्गी खन्ना, शांतनु शर्मा, राज बहादुर यादव, अधिवक्ता, उत्तरदाताओं की ओर से।

न्यायालय का निर्णय

एम. आर. शाह, न्यायमूर्ति

1. लेटर प्रेटेन्ट अपील संख्या 1099/2016 में पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित दिनांक 17.04.2017 के आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। उक्त अपील राज्य द्वारा दायर की गई है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 02.09.2015 के निर्णय और आदेश की पुष्टि की है कि प्रतिवादी संख्या 1 मृत कर्मचारी की विधवा होने के कारण अपने प के मृत्यु की तारीख से परिवारिक वृत्ति अनुदान के लिए हकदार होगी। बिहार राज्य ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है। पति की मृत्यु की तारीख से पारिवारिक पेंशन का 1 प्रतिशत, बिहार राज्य ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

2. यहां प्रत्यर्थी नं. १ का पति बिहार रिसर्च सोसाइटी में चपरासी के रूप में शामिल हुआ, जो सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त सोसाइटी है। बिहार अनुसंधान सोसाइटी (अधिग्रहण) अधिनियम, 2007 द्वारा बिहार सरकार ने उक्त सोसाइटी को अपने अधिकार में ले लिया था। दिनांक 31.08.2005 के प्रस्ताव द्वारा, राज्य ने पुराने पेंशन नियम अर्थात् बिहार पेंशन नियम, 1950 को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर नई पेंशन योजना अर्थात् बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना, 2005 को 01.09.2005 से लागू कर दिया। नई पेंशन योजना के अनुसार, 31 अगस्त, 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारी नई अंशदायी पेंशन योजना द्वारा शासित होंगे, जिसके तहत 31

अगस्त, 2005 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारी पेंशन/परिवार पेंशन के हकदार नहीं होंगे। बिहार अनुसंधान सोसाइटी (अधिग्रहण) अधिनियम, 2007 (जिसे इसमें इसके बाद अधिनियम, 2007 के रूप में संदर्भित किया गया है) 02.03.2009 को लागू हुआ जिसके परिणामस्वरूप संस्थान/सोसाइटी का अधिग्रहण हो गया जहां प्रत्यर्थी नं. 1 का पति काम कर रहा था। प्रतिवादी संख्या 1 के पति की मृत्यु 23.03.2013 को सेवा के दौरान हुई। उक्त सोसाइटी के कर्मचारियों को दिनांक 25.03.2014 के आदेश के अनुसार 02.03.2009 से सरकारी सेवा में लिया गया था। बिहार सरकार ने दिनांक 25.03.2014 के रोजगार आदेश में संशोधन करते हुए एक शुद्धिपत्र जारी किया था, जिसमें " नियुक्त " शब्द के स्थान पर " आमेलित " शब्द का प्रयोग किया गया था। धारा 6 को शुद्धिपत्र द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था कि अधिग्रहण की तारीख से पहले सेवा की गणना सरकारी सेवा के रूप में नहीं की जाएगी। प्रत्यर्थी नं. १ ने पारिवारिक पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की। दिनांक 02.09.2015 के निर्णय और आदेश द्वारा, विद्वत एकल न्यायाधीश ने उक्त रिट याचिका को अनुमति दी और राज्य को उसके पति की मृत्यु की तारीख अर्थात् 23.03.2013 से प्रत्यर्थी नं. 1 को पारिवारिक पेंशन का भुगतान करने का निर्देश दिया।

2.1 पारिवारिक पेंशन की अनुमति देने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर, राज्य ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष लेटर्स पेटेंट अपील की प्राथमिकता दी। आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने कथित अपील को खारिज कर दिया और विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि की, जिसने वर्तमान अपीलों को जन्म दिया है।

3. अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वत अधिवक्ता ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि पेंशन और परिवार पेंशन राज्य सरकार के उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध थी जो पुराने पेंशन नियमों द्वारा शासित थे। यह प्रस्तुत किया गया है कि जब प्रत्यर्थी नं. १ के पति को २. ०३. २००९ से प्रभावी वर्ष २०१४ में समाहित कर लिया गया, तो पुराने पेंशन नियमों को समाप्त कर दिया गया और नई अंशदायी पेंशन योजना को प्रतिस्थापित कर दिया गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, पुराने पेंशन नियम प्रत्यर्थी नं. १ के पति पर लागू नहीं थे और इसलिए, प्रत्यर्थी नं. १ पुराने पेंशन नियमों के तहत पारिवारिक पेंशन का हकदार नहीं होगा।

3.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि पुराने पेंशन नियमों को 01.09.2005 को समाप्त कर दिया गया था और उसके बाद, नई पेंशन योजना लागू हुई, इसलिए नई पेंशन योजना राज्य सरकार के उन सभी कर्मचारियों पर लागू थी, जिन्हें 01.09.2005 को या उसके बाद नियुक्त किया गया था।

3.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि सरकार द्वारा दिनांक 22.06.2015 को एक शुद्धिपत्र भी जारी किया गया था जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि सरकारी सेवा की अवधि की गणना केवल कट ऑफ तारीख अर्थात् 02.03.2009 से की जाएगी और बिहार रिसर्च सोसाइटी में अधिग्रहण की तारीख से पहले समायोजित कर्मचारियों की सेवाओं की गणना सरकारी सेवा के रूप में नहीं की जाएगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस मामले के दृष्टिकोण से, उच्च न्यायालय ने पुरानी पेंशन नियमावली, 1950 को लागू करने की अनुमति देने में एक गंभीर त्रुटियां की हैं।

3.3 उपर्युक्त प्रस्तुतियां देते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपीलों को मंजूर किया जाए।

4. वर्तमान अपीलों का प्रत्यर्थी नं. 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री रचिता राय द्वारा जोरदार विरोध किया गया है। यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी नं. १ के पति को अधिनियम, २००७ की धारा ५ द्वारा समायोजन के माध्यम से २. ०३. २००९ से राज्य सरकार की सेवा में आमेलित किया गया था. यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह एक नई नियुक्ति नहीं थी और इसलिए, उनकी सेवाओं को निरंतर माना जाना था।

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी नं. 1 के पति की सेवा में और सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई थी और इसलिए, पारिवारिक पेंशन स्कीम के खंड 7 (1) के अनुसार, उसके पति की मृत्यु पर, जिसकी सेवा में मृत्यु हो गई थी, प्रत्यर्थी नं. 1 पारिवारिक पेंशन की हकदार थी और परिवार पेंशन स्कीम लाभकारी स्कीम होने के कारण, दोनों, विद्वत एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने सही अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्यर्थी नं. 1 परिवार पेंशन स्कीम के लाभ का हकदार है।

5. हमने दोनों पक्षों की ओर से पेश होने वाले विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।

6. शुरुआत में, यह नोट किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 1 के पति 2 मार्च, 2009 से प्रभावी वर्ष 2014 में सरकारी सेवा में समाहित हो गये। 02 मार्च, 2009 तक वे बिहार रिसर्च सोसायटी के कर्मचारी रहे और कार्य किये। पुराने पेंशन नियम, 1950 को समाप्त कर दिया गया और नई अंशदायी पेंशन योजना 01.09.2005 से लागू की गई। नई अंशदायी पेंशन योजना के तहत पेंशन/परिवार पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। इस योजना के अनुसार 31 अगस्त, 2005 के बाद नियुक्त किए गए सभी व्यक्ति नई अंशदायी पेंशन योजना द्वारा शासित होंगे। इसलिए, जब प्रत्यर्थी नं. १ के पति, जिनकी वर्ष २०१३ में मृत्यु हो गई थी, को समाहित किया गया, तो पुराने पेंशन नियमों को समाप्त कर दिया गया और नई अंशदायी पेंशन योजना अस्तित्व में थी। नियुक्ति आदेश में जारी शुद्धिपत्र और खंड 6 के अनुसार, संबंधित कर्मचारी द्वारा अपने अवशोषण से पहले दी गई पूर्व सेवा को सरकारी सेवा के रूप में नहीं माना जाएगा। इसलिए, प्रतिवादी नं. १ के पति को केवल २. ०३. २००९ से सरकारी कर्मचारी और सरकारी सेवा में कहा जा सकता है। इसलिए, प्रत्यर्थी नं. १ का पति नई अंशदायी पेंशन योजना द्वारा शासित था, जिसके तहत पेंशन/परिवार पेंशन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को पुराने आवेदन करने वाले प्रत्यर्थी नं. १ को पारिवारिक पेंशन का भुगतान करने का निर्देश देकर एक गंभीर त्रुटियां की है। पेंशन नियम, जो 31.08.2005 से पहले लागू थे। पूर्वोक्त पहलू पर उच्च न्यायालय द्वारा बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है और विद्वत एकल न्यायाधीश ने केवल यह माना कि प्रत्यर्थी नं. १ के पति की मृत्यु पर, जिसकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी, प्रत्यर्थी नं. १ पारिवारिक पेंशन योजना के तहत पारिवारिक पेंशन का हकदार है। तथापि, उच्च न्यायालय ने इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है कि नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होने पर 31 अगस्त, 2005 के बाद नियुक्त कोई भी सरकारी कर्मचारी नई अंशदायी पेंशन योजना के अलावा किसी अन्य लाभ का हकदार नहीं होगा। मामले के उस दृष्टिकोण में, प्रत्यर्थी नं. १ पुराने पेंशन नियमों के तहत पारिवारिक पेंशन का हकदार नहीं होगा, जो उस समय लागू नहीं थे जब प्रत्यर्थी नं. १ का पति २. ०३. २००९ से सरकारी सेवा में समाहित हो गया था।

7. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए और उपर्युक्त कारणों से, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय (ओं) और आदेश (ओं) को रद्द किया जाना चाहिए और निरस्त किया जाता है। तदनुसार, न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश विद्वान एकल न्यायाधीश के

साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि प्रत्यर्थी नं. 1 पुराने पेंशन नियमों के तहत पारिवारिक पेंशन का हकदार होगा, खारिज और अपास्त किया जाता है। यह देखा गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि क्योंकि प्रत्यर्थी नं. १ का पति २. ०३. २००९ से केवल सरकारी सेवा में आमेलित था, वह नई पेंशन योजना अर्थात् बिहार सरकार कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना, २००५ द्वारा शासित होगा। तदनुसार, वर्तमान अपीलों की अनुमति दी जाती है। कोई खर्च नहीं।

(एम आर शाह, न्यायमूर्ति)

(बी. वी. नागरत्न, न्यायमूर्ति)

नई दिल्ली

20 मई, 2022

खण्डन (डिस्क्लेमर) :- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।